

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-193/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० प्रीति कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मधेपुरा का विभागीय आदेश संख्या-536(2) दिनांक-12.03.2026 द्वारा दिनांक-25.12.2025 से 25.06.2026 तक कुल-183 (एक सौ तिरासी) दिन की अवधि को शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया गया था।

2. इस क्रम में डा० प्रीति कुमारी के आवेदन के आलोक में दिनांक-26.06.2026 से 26.12.2026 तक कुल-184 (एक सौ चौरासी) दिन के अवकाश को विस्तारित करते हुए शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत/विस्तारित किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० कुमारी को 363 (तीन सौ तिरसठ) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-193/2025- 1317(2) पटना, दिनांक 15/6/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा/अधीक्षक/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/डा० प्रीति कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

W/nm/nk 15/6/26
सरकार के उप सचिव